

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/जबती/लो.स.&वि.स. /ई.ई.पी.एस/2018/72-107

दिनांक: 06 सितम्बर, 2018

सेवा मे,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: कोषागार ओर मालखानो में पड़े 1000/- रु और 500/- रुपये की मूल्यवर्ग वाली अप्रचलित मुद्रा, जिनके संबंध में एफ. आई. आर दायर की गई है, के संबंध में सूचना – तत्संबंधी।

महोदया/ महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी की जबती हेतु आयोग ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) निर्धारित की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मामले में जबत की गई नकदी/जबत किए गए कीमती सामान को मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक मालखाना या कोषागार में नहीं रखा जाना चाहिए जबतक कि इस मामले में एफ.आई.आर/शिकायत न दर्ज की गई हो। अतः आयोग ने दिनांक 29.05.2015 की एस.ओ.पी. द्वारा लोक शिकायतों के निवारण हेतु समिति के गठन के लिए निदेश जारी किए हैं (प्रति संलग्न) जिसमें जिले के तीन अधिकारी नामतः (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/ सी.डी.ओ/पी.डी.डी.आर.डी.ए, (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) और (iii) जिला कोषागार अधिकारी जो पुलिस/एस.एस.टी/एफ. एस द्वारा की गई जबती के प्रत्येक मामले की स्वयं जांच करगी। इसके अतिरिक्त आयोग ने उपर्युक्त एस.ओ.पी में निदेश दिए हैं कि यदि किसी बाहन में 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और आयोग को इसमें किसी अपराध या किसी अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ता अथवा पार्टि कार्यकर्ता से उसका कोई संबंध नहीं दिखता है तो वह राशि जबत नहीं की जाएगी और यह सूचना आयकर विधि के अधीन आवश्यक करिवाई के लिए आयकर प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

2. आयोग की एस.ओ.पी. के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1000/- रु और 500/- रुपये के मूल्यवर्ग की अप्रचलित मुद्रा की विद्यमानता के बारे में, जिनके बारे में एफ.आई.आर दर्ज की गई है, सूचित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप संलग्न प्रारूप में दिसम्बर, 2016 तक जबत की गई कुल राशि की तुलना में अप्रचलित मुद्रा की राशि के संबंध में सूचना 15 सितम्बर, 2018 तक प्रस्तुत कर दें।

भवदीय
(राजन जैन)
अवर सचिव

5/EO(COB)
5/12/2018
Dy CEO
4/11/18

26/DYCEO
4/12/18

3/12

Sp. CEO

AM
05/12/18

E.O./ (COB)